

की पासना में P/D की पासना सुनिश्चित  
की जाकर मिसल डायंग्रा दिनांक 14/10/21  
को पेश हो)

उपखण्ड अधिकारी  
सुमेरपुर, जिला-पाली (अब)

दिनांक...14.10.21....  
बकुलाय उपस्थित

सब सरकारी एवं ग्रामान् जिला कलक्टर पाली  
के निर्देशानुसार प्रत्येक 3 गा पंचायत मुख्यालय के भारत  
निर्माण राजीव गाँधी सेवा सेवक पर प्रशासन गाँवों के संग  
अभिधान-2021 का आयोजन करा गया है, जिसमें पत्रावली  
न्यायालय के सम्बन्धित अधिकारियों व नवीन राजस्व प्रक्रियाओं  
का प्रयोग करने के लिए अभिधान के तहत पक्षकारों के  
मध्य में सन्धि प्रस्ताव अथवा मेरिज के आधार पर  
विकास के लिए निर्दिष्ट किया जायेगा।

उपरोक्त दोनों संबंधित दोनों पक्षों को नोटिस  
द्वारा सूचित किया जाकर यह पत्रावली भारत निर्माण  
राजीव गाँधी सेवा सेवक...दिनांक...में आयंदा  
दिनांक...14.10.21....को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
सुमेरपुर (पाली)

14/10/21




श्री. गि. खिल्लर  
Adv.

14/10/21

पत्रावली पेश हुई। बकुलाय उपख। नदी ने  
प्रशासन गाँवों के संग अभिधान के म्य नेतरा में  
मध्य वकील उपस्थित होकर निवेदन किया कि  
वार्ड व पुतिवादी में आपसी सहमति से आराज  
रकम तें 63 रकबा 2.328 ई० का बरवारी  
तहसीलदार साहब सुमेरपुर से करवा  
दिया है अतः अब आगे वाद का चलाना  
नहीं चाहते हैं। अतः बाद जरिये विट्रोल  
स्वारीज फलमचा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन  
व मनन किया। तहसीलदार सुमेरपुर का

12/02/23 133/230-11  
सेवा में

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुकम ताका नंबर व तारीख
	<p>मुता। तहसीलदार सुमेरपुर ने बताया कि प्रशासन गांवों के संग अभिधान कैम्प नेतरा में वादीगण व प्रतिवादी के रकम तं 63 रकबा 2.328 हंठ का बंटवारा 1/3, 1/3, 1/3 हिस्से अउसाए आपसी सहमति से स्वीकृत किया जा चुका है अतः वाद का आगे चलाना उचित नहीं है।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड, वादीगण व प्रतिवादी के बीच आपसी सहमति संबंटवारा हो जाने से पार्टीगण द्वारा वाद विद्रोह करने से पत्रावली का आगे चलाना न्याय हित में नहीं है। अतः वादी का वाद जरिये विद्रोह स्वारीज किया जाता है निर्णय प्रशासन गांवों के संग अभिधान कैम्प नेतरा में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुभार होकर नम्बर से कप्त हो।</p> <p style="text-align: right;"> सुपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर (पाली)</p>	